रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2011/पौष 2, 1933
No. 254] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2011/PAUSA 2, 1933

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2011

सं भा.आ.प. 203(9)/2011-रजि./51257.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्क्रीनिंग टैस्ट विनियमावली 2002" में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: : —

1. इन नियमों को "स्क्रीनिंग टैस्ट (संशोधन) विनियमावली, 2011" कहा जाए ।

2. वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

3. "स्क्रीनिंग टैस्ट विनियमावली, 2002" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :-

4. विनियम 4 में, "पात्रता मानदंड" शीर्षक जिसे 16-4-2010 की अधिसूचन द्वारा संशोधित किया गया है जिसमें उप-खण्ड (3) को जोड़ा गया था, उक्त उप-खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

"(4) परंतु ऐसे व्यक्ति को अस्थायी अथवा स्थायी पंजीकरण कराने के लिये "स्क्रीनिंग टैस्ट उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है जिसने स्नातक आयुर्विज्ञान योग्यता आस्ट्रेलिया/कनाडा/ न्यूजीलैंड/युनाइटेड किंग्डम/संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त की हो तथा धारक को स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान योग्यता भी आस्ट्रेलिया/कनाडा/ न्यूजीलैंड/युनाइटेड किंग्डम/संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गई हो तथा उसे उस देश में मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर नामांकन के लिये मान्यता प्रदान की गई हो ।"

डॉ. संगीता शर्मा, सचिव
[विज्ञापन III/4/100/11/असा.]

पाद टिप्पणी:—प्रधान विनियमावली नामत: "स्क्रीनिंग टैस्ट विनियमावली 2002" भारत के राजपत्र के भाग-III, धारा 4 में दिनांक 18 फरवरी, 2002 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 28 जून, 2003, 25 सितंबर, 2009 और 16 अपैल, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2011

No. MCI/203(9)/2011-Regn./51257.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Screening Test Regulations, 2002" namely:—

1. These regulations may be called the "Screening Test Regulations (Amendment), 2011".

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the " Screening Test Regulations, 2002", the following additions/modifications/deletions substitutions shall be, as indicated therein :—

4. In regulation 4 under heading "Eligibility Criteria" which was amended vide notification dated 16-4-2010 whereby sub-clause (3) was added, the following proviso shall be added after said sub-clause (3) :—

"(4) Provided further that a person seeking provisional or permanent registration shall not have to qualify the Screening Test if he/she holds an Under Graduate medical qualification from Australia/ Canada/New Zealand/United Kingdom/United States of America and the holder thereof also been awarded a Post Graduate medical qualification in Australia/ Canada/New Zealand/United Kingdom/United States of America and has been recognised for enrolment as medical practitioner in that country".

Dr. SANGEETA SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/100/11/Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Screening Test Regulations, 2002" were published on 18th February, 2002 in Part III, Section 4 of the Gazette of India and amended *vide* Medical Council of India Notification dated the 28th June, 2003, 25th September, 2009 and 16th April, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.